क्रमांक 2341-1 जी: एस:-1-72/15727

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग, चण्डीगढ़।

2. सचिव, हरियाणा अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल, चण्डीगढ़।

चण्डीगढ़, दिनांक 26 मई, 1972 ।

विषय :– हरियाणा लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण बोर्ड द्वारा बनाई गई प्रतीक्षा सूची में से उम्मीदवारों की नियुक्ति।

महोदय

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान संयुक्त पंजाब सरकार के परिपत्र प्रशासकीय क्रमांक 1673-जी-11-56, दिनांक 22-3-1957 (प्रति संलग्न है) की ओर दिलाऊं और यह वर्णन करूं कि इस परिपत्र में दी गई हिदायतों के अनुसार ऐसी रिक्तियां जो कि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा प्राप्त हुई सिफारिशों के 6 महीने के अन्दर अन्दर उत्पन्न होती हैं उनको आयोग द्वारा बनाई गई प्रतीक्षा सूची में से भरा जाना आवश्यक है और जो रिक्तियां 6 मास के समय के बाद उत्पन्न हों उनके लिए आयोग को मांग-पत्र भेजना अनिवार्य है। यह 6 मास की अवधि किस प्रकार गिनी (काउण्ट) की जावे इसके संबंध में स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में यह भी वर्णनीय है कि भूतकाल में आयोग विभाग द्वारा की गई मांग से दो गुणा नामों की सिफारिशें करता था परन्तु अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। सरकार ने उपरोक्त विषय पर संयुक्त पंजाब में जारी की गई हिदायतों को पुनः निरीक्षण किया है और इन हिदायतों को अप-टू-डेट करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि इन हिदायतों को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित कर दिया जावे :–

(क) जब हरियाणा लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल किसी विभाग को उसकी मांग पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए अपनी सिफारिशें भेजे तो आयोग/बोर्ड विभाग द्वारा सूचित की गई रिक्तियों की संख्या के अतिरिक्त पांच एक्सट्रा (Extra) उम्मीदवारों के नामों की भी सिफारिश कर दें और साथ ही साथ विभाग को यह भी अवश्यसूचित कर दें कि उनके पास उसी पद पर बाद में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए प्रतीक्षा सूची भी उपलब्ध है या नहीं। यदि क्वालीफाई करने वाले एक्सट्रा उम्मीदवारों की संख्या पांच से कम हो तो कम नामों की ही आयोग/बोर्ड द्वारा सिफारिश की जावेगी।

(ख) यदि आयोग/बोर्ड को सिफारिश की जाती है तथा उन सिफारिशों की प्राप्ति के 6 मास के अन्दर अन्दर उस विभाग में उसी पद की अतिरिक्त रिक्तियां होती हैं तो इन बाद में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए उपर्युक्त पांच एक्सट्रा उम्मीदवारों में से भरा जाएगा। यदि बाद में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों की संख्या पांच से अधिक बढ़ जाती है तो आयोग बोर्ड से प्रतीक्षा सूची में से अतिरिक्त नाम मंगा कर उनमें से नियुक्तियां करने के लिए 6 महीने की टाईम लिमिट जो निर्धारित है उसके संबंध में आयोग बोर्ड को विभाग द्वारा लिखे जाने वाले पत्र की तिथि रेलेवेंट होगी और यदि आयोग/बोर्ड को विभाग ने original recommendation प्राप्त होने के 6 मास के अन्दर-2 लिख दिया हो किन्तु उनसे अतिरिक्त नाम 6 मास की समाप्ति पर प्राप्त हों तो भी उनमें से नियमित नियुक्तियां की जा सकती हैं। यदि किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए आयोग/बोर्ड ने भूतकाल में कोई सिफारिश न की हो या यदि की हो तो वह 6 मास के भी पहले के समय में की हो तब आयोग/बोर्ड से प्रतीक्षा सूची में से नाम मंगवाने की आवश्यकता विभाग को नहीं होगी।

आयोग/बोर्ड 15 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी अतिरिक्त नामों के बारे में सिफारिशें नहीं भेजता तो विभाग को अधिकार होगा कि वह ऐसी रिक्तियों के विरुद्ध तदर्थ रूप से नियुक्तियां कर लें।

(घ) अतिरिक्त रिक्तियां जिनका वर्णन ऊपर किया गया है ऐसी रिक्तियां होंगी जो कि आयोग/बोर्ड से प्राप्त हुई original recommendation के 6 मास के अन्दर-2 ही उत्पन्न हुई हों और इन रिक्तियों में ऐसी रिक्तियों को शामिल नहीं की जावेगी जो वास्तविक रूप में 6 मास के अन्दर-2 उत्पन्न न हुई हों परन्तु उनके उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

2 इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी उम्मीदवार को आयोग बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति पत्र उक्त रिक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो आयोग/बोर्ड को मांग-पत्र द्वारा सूचित की गई हो और उपरोक्त उम्मीदवार पद ग्रहण करने से इंकार कर देता है तो उस केस में 6 मास की टाईम लिमिट लागू नहीं होगी और ऐसी हालत में रिक्ति को 6 मास के पश्चात् भी उपरोक्त पांच एकस्ट्रा नामों में या आयोग/बोर्ड द्वारा बनाई गई प्रतीक्षा सूची में से नाम मंगा-कर भरा जा सकता है।

3 आपसे अनुरोध है कि भविष्य में उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाया करे।

हस्ताक्षरित
उप सचिव राजनैतिक एवं सेवाएं
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।